

जंगल में किया रिलीज

और उसके दोनों शावकों को कूनों के पारोंद क्षेत्र के खुले जंगल में रिलीज किया. कार्यक्रम के बाद तीनों चीते सुरक्षित रूप से जंगल में शामिल हो गए. इसके साथ ही खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिवपुरी के रास्ते से कूनों नेशनल पार्क पहुंचे और चीतों को जंगल में रिलीज किया. रिलीज होते ही चीता ने जंगल की ओर दौड़ लगा दी. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीरा और उसके दोनों शावकों का खुले जंगल में शामिल होना भारत में चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता का मजबूत संकेत है. वन्यजीव विभागों की टीम 24 घंटे निगरानी में लगी है और चीतों के स्वास्थ्य व

पुस्तक विमोचन और शॉप का भी किया लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विलनिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्री रेंजिंग चीता इन कूनो नेशनल पार्क पुस्तक का विमोचन किया. इसके साथ ही कूनो शोवेनियर शॉप का लोकार्पण और वर्ष 2025 का विशेष कैलेंडर जारी किया गया. सीएम ने कहा कि इस पहल से पर्यटन और संरक्षण दोनों को नई दिशा मिलेगी.

कूनो में कुल 19 और गांधी सागर में 3 चीते

वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में कुल 19 चीते मौजूद हैं, जबकि गांधी सागर अभयारण्य में भी 3 चीते सुरक्षित रूप से विचरण कर रहे हैं. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चीतों की निगरानी और सुरक्षा के लिए विशेष टीमें लगातार काम कर रही हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दी बधाई

अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संदेश जारी कर संरक्षण कार्यों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता भारतीय जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और गर्व की बात है कि अब कई चीते भारत में जन्म ले रहे हैं. प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों से भारत आकर चीतों को करीब से देखने का आग्रह भी किया.

गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है. चीता दिवस पर मिली यह उपलब्धि कूनो और न्यायप्रदेश के लिए गौरव का विषय बनी है.



► **प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नौकझाँक**

► **पहले 3 हजार मिलते थे हम 16 हजार दे रहे : सीएम**

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 दिसंबर. सदन में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों को फसल नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर जमकर नौकझाँक हुई. इस मामले में जहां सीएम ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दिये जाने वाली राशि का जिक्र किया, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी आज की बात करने की नसीहत सत्ता पक्ष को दी.

इस मामले में सदन में पक्ष-विपक्ष के तेवर तीखे रहे, जब विपक्ष की सदस्य सीटों पर खड़े

होकर सरकार पर आरोप लगाते लगे और आसदी के सामने जा पहुंचें तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी सीटों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में शोरगुल की स्थिति बन गई. बाद में विपक्ष ने सरकार पर किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाते हुए वाकआउट कर दिया.

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य बाबू जडेल्ले ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक किसानों के खाते में फसल को हुए नुकसान की मुआवजा राशि नहीं मिलने का आरोप लगाया. इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्माने जवाब देते हुए कहा कि किसानों के खाते में संपूर्ण राशि डाल दी गई है. इस पर मुखर होते हुए जडेल्ले ने कहा कि प्रति हेक्टेयर 16 हजार रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक खाते में राशि नहीं आई है.

6 वही मंत्री का कहना था कि मुख्यमंत्री की घोषणा के चार दिन के भीतर किसानों के खाते में राशि डाल दी जाती है. इस पर हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 5 हजार करोड़ रुपये का आकलन किया गया है, लेकिन महज 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है. इस पर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि श्रेष्ठपुर जिले में धान के मुआवजा की बात आई है. श्रेष्ठपुर जिले में चार गुना तक पैसा दिया गया है, आज तक इतना पैसा नहीं मिला. आपकी सरकार के समय 3 हजार रुपये मिलता था, हम 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं. जनहानि पर आपके समय 50 हजार मिलते थे, हम 4 लाख रुपये दे रहे हैं. इस बीत कई विपक्षी सदस्य सीटों से खड़े हो गये और सीएम की बातों का विरोध करने लगे, इस पर सीएम ने कहा कि आप तसल्ली से सुनें, सुनने का कलेजा भी चाहिए.

► **प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नौकझाँक**

► **पहले 3 हजार मिलते थे हम 16 हजार दे रहे : सीएम**

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 दिसंबर. सदन में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों को फसल नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर जमकर नौकझाँक हुई. इस मामले में जहां सीएम ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दिये जाने वाली राशि का जिक्र किया, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी आज की बात करने की नसीहत सत्ता पक्ष को दी.

इस मामले में सदन में पक्ष-विपक्ष के तेवर तीखे रहे, जब विपक्ष की सदस्य सीटों पर खड़े

होकर सरकार पर आरोप लगाते लगे और आसदी के सामने जा पहुंचें तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी सीटों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में शोरगुल की स्थिति बन गई. बाद में विपक्ष ने सरकार पर किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाते हुए वाकआउट कर दिया.

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य बाबू जडेल्ले ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक किसानों के खाते में फसल को हुए नुकसान की मुआवजा राशि नहीं मिलने का आरोप लगाया. इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्माने जवाब देते हुए कहा कि किसानों के खाते में संपूर्ण राशि डाल दी गई है. इस पर मुखर होते हुए जडेल्ले ने कहा कि प्रति हेक्टेयर 16 हजार रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक खाते में राशि नहीं आई है.

6 वही मंत्री का कहना था कि मुख्यमंत्री की घोषणा के चार दिन के भीतर किसानों के खाते में राशि डाल दी जाती है. इस पर हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 5 हजार करोड़ रुपये का आकलन किया गया है, लेकिन महज 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है. इस पर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि श्रेष्ठपुर जिले में धान के मुआवजा की बात आई है. श्रेष्ठपुर जिले में चार गुना तक पैसा दिया गया है, आज तक इतना पैसा नहीं मिला. आपकी सरकार के समय 3 हजार रुपये मिलता था, हम 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं. जनहानि पर आपके समय 50 हजार मिलते थे, हम 4 लाख रुपये दे रहे हैं. इस बीत कई विपक्षी सदस्य सीटों से खड़े हो गये और सीएम की बातों का विरोध करने लगे, इस पर सीएम ने कहा कि आप तसल्ली से सुनें, सुनने का कलेजा भी चाहिए.

निर्माण संवाददाता
भीमपाल, 4 दिसम्बर. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को अपने निवास पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि शहरयार खान के साथ बैठक कर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की. यह प्रस्ताव स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों को मजबूत करने, विशेषकर छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने को लेकर प्रस्तुत किया गया.

खान ने अपने प्रस्ताव में युवाओं और महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की योजना का खाका पेश किया.

इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग, उन्नत कृषि पद्धतियों और बेहतर विपणन तंत्र को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, कमलनाथ ने इस प्रस्ताव में गहरी रुचि दिखाते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संभावित तरीकों पर विस्तृत चर्चा की.

निर्माण संवाददाता
भीमपाल, 4 दिसम्बर. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को अपने निवास पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि शहरयार खान के साथ बैठक कर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की. यह प्रस्ताव स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों को मजबूत करने, विशेषकर छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने को लेकर प्रस्तुत किया गया.

खान ने अपने प्रस्ताव में युवाओं और महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की योजना का खाका पेश किया.

इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग, उन्नत कृषि पद्धतियों और बेहतर विपणन तंत्र को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, कमलनाथ ने इस प्रस्ताव में गहरी रुचि दिखाते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संभावित तरीकों पर विस्तृत चर्चा की.

भोपाल. न्याय एवं संस्कृति और धार्मिक पर्यटन एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेश भास्कर सिंह लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश को प्रमुख पर्यटन गंत्य बनाने के लिये विभिन्न आयोजन एवं गतिविधियों संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से उज्जैन में स्काई-डाइविंग के पाँचवे संस्करण का आयोजन 12 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक दताना एयरस्ट्रिप, उज्जैन में किया जाएगा। उज्जैन में दो माह की अवधि के लिए पर्यटक 10 हजार फीट की ऊँचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी के नए और रोमांचकारी दर्शन का अवसर प्राप्त करेंगे।

भोपाल. न्याय एवं संस्कृति और धार्मिक पर्यटन एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेश भास्कर सिंह लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश को प्रमुख पर्यटन गंत्य बनाने के लिये विभिन्न आयोजन एवं गतिविधियों संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म का हब बनाने के उद्देश्य से उज्जैन में स्काई-डाइविंग के पाँचवे संस्करण का आयोजन 12 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक दताना एयरस्ट्रिप, उज्जैन में किया जाएगा। उज्जैन में दो माह की अवधि के लिए पर्यटक 10 हजार फीट की ऊँचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी के नए और रोमांचकारी दर्शन का अवसर प्राप्त करेंगे।

► **कटनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी का मामला**

► **गलत गैर जमानती धाराएं लगाने का लगाया आरोप**

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 4 दिसंबर. सदन में गुरुवार को सरकार एक साथ चार भाजपा विधायकों के सवालों पर चिंता गई।

आखिरकार गृह राज्य मंत्री थाने की स्टाफ के अतिरिक्त उच्च अफसरों से मामले की जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर मामला ठंडा हुआ।

ध्यानकर्षण के दौरान भाजपा के सदस्य प्रणय प्रभात पांडे, डॉ. अशिलाष पाण्डे और संदीप अजिवाल के अलावा संजय पाठक ने कटनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी के संबंध में गैर जमानती गलत धाराएं लगाए जाने का मामला उठाया। उनका कहना था कि नाजिम खान जो कि हथियारों के व्यापारी रहे हैं, 26, 27 अगस्त की दरमियानी रात को उनकी नेम प्लेट जला दी गई थी, जिसमें पुलिस ने नाजायज तरीके से शुभम त्रिपाठी के ऊपर घर जलाने और परिजनों को जलाने की धाराएं लगाई गईं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि केवल नेम प्लेट जली है। इस मामले में पुलिस ने नाजिम खान के साथ मिलीभगत कर गलत धाराएं लगाई गईं और त्रिपाठी को परेशान किया गया। विधायकों का ये भी कहना था कि त्रिपाठी ब्राहमण समाज से आते हैं और उनके दादाजी की समाज में काफी प्रतिष्ठा है, पुलिस की कार्रवाई से ब्राहमण समाज में नाराजगी है।

विपक्ष के सुरेंद्र हीन सिन्हा बघेल ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पर हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मामले में जांच के बिंदु दे दें, एक-एक बिंदु की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सरकार किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गृह राज्य मंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

साथ ही दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उनका तर्क था कि थाने में पुलिस की मौजूदगी में नाजिम खान ने धमकाया।

► **कटनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी का मामला**

► **गलत गैर जमानती धाराएं लगाने का लगाया आरोप**

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 4 दिसंबर. सदन में गुरुवार को सरकार एक साथ चार भाजपा विधायकों के सवालों पर चिंता गई।

आखिरकार गृह राज्य मंत्री थाने की स्टाफ के अतिरिक्त उच्च अफसरों से मामले की जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर मामला ठंडा हुआ।

ध्यानकर्षण के दौरान भाजपा के सदस्य प्रणय प्रभात पांडे, डॉ. अशिलाष पाण्डे और संदीप अजिवाल के अलावा संजय पाठक ने कटनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी के संबंध में गैर जमानती गलत धाराएं लगाए जाने का मामला उठाया। उनका कहना था कि नाजिम खान जो कि हथियारों के व्यापारी रहे हैं, 26, 27 अगस्त की दरमियानी रात को उनकी नेम प्लेट जला दी गई थी, जिसमें पुलिस ने नाजायज तरीके से शुभम त्रिपाठी के ऊपर घर जलाने और परिजनों को जलाने की धाराएं लगाई गईं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि केवल नेम प्लेट जली है। इस मामले में पुलिस ने नाजिम खान के साथ मिलीभगत कर गलत धाराएं लगाई गईं और त्रिपाठी को परेशान किया गया। विधायकों का ये भी कहना था कि त्रिपाठी ब्राहमण समाज से आते हैं और उनके दादाजी की समाज में काफी प्रतिष्ठा है, पुलिस की कार्रवाई से ब्राहमण समाज में नाराजगी है।

विपक्ष के सुरेंद्र हीन सिन्हा बघेल ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस पर हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मामले में जांच के बिंदु दे दें, एक-एक बिंदु की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सरकार किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गृह राज्य मंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

साथ ही दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उनका तर्क था कि थाने में पुलिस की मौजूदगी में नाजिम खान ने धमकाया।

स्वयंवाधकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसो एंजेल मोडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल मोहश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnava@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक: M.P.B.P.L/71/2012-14